


कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।

संख्या सी0एमओ0/फर्म पंजीकरण/प्रो0रू0/2015-16 दिनांक 15.06.2015

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग के 'शासनदोश संख्या -177/XXVII/ (7)2008 दिनांक 01.05.2008 के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून के उपयोग हेतु औषधियों/स्थानीय स्तर पर औषधियों के क्रय एवं विभिन्न सामग्रियों जैसे हास्पिटल फर्नीचर, उपकरण, लैब रिजयेन्ट्स, कन्ज्यूमेबिल सामग्री, वस्त्र बिस्तर, लेखन सामग्री फार्मों की छपाई, कन्टीजैन्सी सामग्री आदि की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध के अतिरिक्त इच्छुक फर्मों का पंजीकरण दिनांक 16.06.2015 से 30.06.2015 तक पंजीकृत डाक द्वारा या सीधे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में निम्नानुसार मांगे गये अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के साथ जमा किया जाना है। विस्तृत जानकारी www.cmodehradun.org पर उपलब्ध है।


1. जिलाधिकारी, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आवेदन की तिथि तक वैध हो।
2. आयकर क्लियरेंस प्रमाण पत्र /पैन न0/टैन-टिन न0 सहित।
3. सी0ए0 द्वारा तीन वर्ष का आयकर वैलेन्स 'शीट प्रमाणित।
4. बिक्री कर प्रमाण पत्र।
5. औषधि अनुज्ञापन प्रमाण पत्र (केवल औषधियों हेतु)
6. फर्म का डी0एल0 लाईसैन्स या फर्म द्वारा अधिकृता प्रमाण पत्र (केवल औषधियों हेतु)
7. फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाले सामान की सूची स्पष्ट रूप से जिस हेतु पंजीकरण किया जा रहा है।
8. रू0 100.00 के स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र इकरानाम जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून के पक्ष में हो।
9. फर्नीचर/चिकित्सा उपकरण सामग्री हेतु प्रत्येक वर्ष 50 लाख का टर्नओवर होना आवश्यक है।
10. सर्जिकल/कन्टीजैन्सी व हास्पिटल साज-सज्जा हेतु प्रत्येक वर्ष 35 लाख का टर्नओवर होना आवश्यक है।
11. उत्तराखण्ड में लघु उद्योग /कुटीर उद्योग में फर्म का पंजीकरण व सामग्रियों की आपूर्ति हेतु मैनुफैक्चर्स फर्म का अधिकृता प्रमाण पत्र।
12. किसी भी सरकारी संस्थाओं द्वारा फर्म को ब्लैक लिस्टेड होने का प्रमाण पत्र।
13. ISO 9000- ISI/BSI के तुलनात्मक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
देहरादून।

संख्या सी0एमओ0/फर्म पंजीकरण/प्रो0रू0/2015-16/4854 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित समाचार पत्रों को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र के अगले अंक में 10X10 से0मी0 साईज में छापकर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रेषित करें।

1. सम्पादक, अमर उजाला, देहरादून।
2. सम्पादक, दैनिक जागरण, देहरादून।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
देहरादून।